न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नगर (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय तालिम बनाम रज्जाक किस्म मुकदमा: 212 आर0टी0एक्ट मिसल नंबर: 15/2018	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
13.04.2022	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 353/0.37, 57/0.28, 290/0.23, 302/0.10, 354/0.30, 385/0.38, 431/0.36, 432/0.39, बाके ग्राम झंझार एवं आराजी खसरा नंबर 29/0.35, 55/0.18, 206/0.30, 209/0.11, 246/0.28, 251/0.14, 252/0.12, बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील नगर हाल तहसील सीकरी प्रार्थी के दादा एवं अप्रार्थी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य हैं, सायल, गैर सायल का पुत्र है। आराजी खसरा नंबर 353/0.37, 57/0.28, 290/0.23, 302/0.10, 354/0.30, 385/0.38, 431/0.36, 432/0.39, बाके ग्राम झंझार एवं आराजी खसरा नंबर 29/0.35, 55/0.18, 206/0.30, 209/0.11, 246/0.28, 251/0.14, 252/0.12, बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील नगर हाल तहसील सीकरी सायल एवं गैरसायल की पैतृक आराजी है, जिस पर सायल का जन्म से ही अधिकार निहित है एवं और आराजी पर पहले सायल के दादा मृतक सुमेर काबिज था, उनकी मृत्यू के पश्चात सायल व गैरसायल बहिस्सा बराबर वहैसियत वारिस काबिज हो गये और इसी कदर मौके पर सायल एवं गैरसायल का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सायल के दादा मृतक सुमेर की आराजी में सायल के पिता गैर सायल रज्जाक का हिस्सा निहित है, जो विरासत के दाखिल खारिज के अनुसार गैर सायल रज्जाक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना सुनिश्चित है, लेकिन गैर सायल रज्जाक के मन में बदयांति है तथा वह मृतक सुमेर की आराजी में से अपने हिस्सा में आने वाली समस्त आराजी को विक्रय करने को तत्पर है तथा कुछ लोगों से अपने हिस्सा में आने वाली आराजी को विक्रय करने बाबत हां कर रखी है तथा एडवांस राशि प्राप्त करना चाहता है, अगर गैर सायल रज्जाक अपने उक्त कृत्य में कामयाब हो गया तो सायल को सख्त हक तलफी [illegible] जिसकी क्षतिपूर्ति जरिये नकद अथवा [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:57:12 IST
Reason: SelfAttested

A.C. (F.T.)
NAGAR

Scanned with CamScanner

ऐसी सूरत में सायल अपने आपको उक्त आराजी 353/0.37, 57/0.28, 290/0.23, 302/0.10, 354/0.30, 385/0.38, 431/0.36, 432/0.39, बाके ग्राम झंझार एवं आराजी खसरा नंबर 29/0.35, 55/0.18, 206/0.30, 209/0.11, 246/0.28, 251/0.14, 252/0.12, बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील नगर हाल तहसील सीकरी के विधि अनुसार अपने हिस्से पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद दर्ज करा पाने का अधिकारी है। गैर सायल 353/0.37, 57/0.28, 290/0.23, 302/0.10, 354/0.30, 385/0.38, 431/0.36, 432/0.39, बाके ग्राम झंझार एवं आराजी खसरा नंबर 29/0.35, 55/0.18, 206/0.30, 209/0.11, 246/0.28, 251/0.14, 252/0.12, बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील नगर हाल तहसील सीकरी में से अपने हिस्से को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुंतकिल करने पर आमदा है, सायल के कब्जे काश्त की आराजी पर नाजायज कब्जा कायम करना चाहते हैं। अंत में प्रार्थी ने निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 353/0.37, 57/0.28, 290/0.23, 302/0.10, 354/0.30, 385/0.38, 431/0.36, 432/0.39, बाके ग्राम झंझार एवं आराजी खसरा नंबर 29/0.35, 55/0.18, 206/0.30, 209/0.11, 246/0.28, 251/0.14, 252/0.12, बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील नगर हाल तहसील सीकरी की बाबत गैर सायल को ताफैसला मुकदमा जरिये अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की वह विवादित आराजी खसरा नंबर 353/0.37, 57/0.28, 290/0.23, 302/0.10, 354/0.30, 385/0.38, 431/0.36, 432/0.39, बाके ग्राम झंझार एवं आराजी खसरा नंबर 29/0.35, 55/0.18, 206/0.30, 209/0.11, 246/0.28, 251/0.14, 252/0.12, बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील नगर हाल तहसील सीकरी को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुंतकिल न करें, सायल के कब्जे काश्त में मदाख्लत मजाहमत नहीं करें, एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक सायल जायल हो।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में गत तारीख पेशी को प्रकरण में प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपने कथन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:37:12 IST
Reason: SelfAttested

A.C.F.M.
(F.T.)
NAGAR

Scanned with CamScanner

कहा कि मेरा प्रार्थना पत्र को ही बहस मान कर निर्णित किया जावे। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 353/0.37, 57/0.28, 290/0.23, 302/0.10, 354/0.30, 385/0.38, 431/0.36, 432/0.39, बाके ग्राम झंझार एवं आराजी खसरा नंबर 29/0.35, 55/0.18, 206/0.30, 209/0.11, 246/0.28, 251/0.14, 252/0.12, बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील नगर हाल तहसील सीकरी पर न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2018 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा की पुष्टि के मूल वाद के निस्तारण तक की जावे।

गत तारीख पेशी को वकील प्रार्थी की सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 353/0.37, 57/0.28, 290/0.23, 302/0.10, 354/0.30, 385/0.38, 431/0.36, 432/0.39, बाके ग्राम झंझार एवं आराजी खसरा नंबर 29/0.35, 55/0.18, 206/0.30, 209/0.11, 246/0.28, 251/0.14, 252/0.12, बाके ग्राम खेडला छज्जू तहसील नगर हाल तहसील सीकरी मेव समुदाय से संबंधित है। जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है जिसके अनुसार आराजी की बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार की मृत्यू तक उक्त खातेदार का ही एकल अधिकार होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जाता है तथा दिनांक 28.02.2018 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

A.C.F.M.
(F.T.)
NAGAR

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:57:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner